न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/198 **दायरा दिनांक : 26.11.2024**

उनवान

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री घनश्याम, आयु 29 वर्ष, जाति धाकड़
2. प्रकाशचंद पुत्र श्री रामगोपाल, आयु 50 वर्ष, जाति धाकड़
3. ललिता पुत्री श्री घनश्याम, आयु 32 वर्ष, जाति धाकड़
4. नरेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वर, आयु 33 वर्ष, जाति धाकड़
   निवासीगण ग्राम बोरदा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राजस्थान)

.... अपीलांट

बनाम

1. राममूर्ति पुत्री श्री मांगीलाल पत्नी श्री राकेश फागना, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम धनवाड़ा, जिला झालावाड़ (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राजस्थान)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ललित नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 24.03.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 677/प्रार्थना–पत्र/2023 निर्णय दिनांक 10.07.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वाके ग्राम बोरदा, पटवार हल्का हरीगढ़, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ के माल में खाता संख्या 225 नया व खाता संख्या 155 पुराना के खसरा नं. 119/932 रकबा 2.1853 हैक्टेयर आराजी कुल 1 किता कुल रकबा 2.1853 हैक्टेयर आराजी स्थित है जो प्रार्थीया के खाते एवं कब्जे काश्त की है। वाके ग्राम बोरदा, पटवार हल्का हरीगढ़, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ के माल में खाता संख्या 209 नया व खाता संख्या 206 पुराना के खसरा नं. 133 रकबा 0.2428 हेक्टेयर, खसरा नं. 136/858 रकबा 3.3589 हैक्टेयर, खसरा नं. 345 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नं.

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

435/859 हेक्टेयर आराजी कुल 4 किता कुल रकबा 3.8041 हैक्टेयर आराजी स्थित है। जो अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के खाते एवं कब्जे काश्त की है। वाके ग्राम बोरदा, पटवार हल्का हरीगढ़, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राजस्थान के माल में खाता संख्या 293 नया व खाता संख्या 130 पुराना के खसरा नं. 821/114 रकबा 0.4047 हैक्टेयर आराजी कुल 1 किता कुल रकबा 0.4047 हैक्टेयर आराजी स्थित है जो अप्रार्थी नं. 4 के खाते एवं कब्जे काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 10.07.2023 से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय जैर अपील न्याय एवं सिंचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का मौका दिये बिना आलौच्य आदेश दिनांक 10.07.2024 पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10.07.2024 में यह लिखा है कि तहसीलदार खानपुर से रिपोर्ट का अवलोकन कर और बहस पर मनन कर आदेश पारित किया जाना उचित है। चूंकि रेस्पोडेन्ट को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की यह फाईण्डिग गलत व गैर कानूनी है और रिकॉर्ड के विरूद्ध है। चूंकि वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के खेत खसरा नम्बर 119/932 पर जाने हेतु प्रारम्भ से ही रास्ता खसरा नम्बर 113 के जो सरकारी सिवाय चक भूमि रही है और ग्राम बोरदा व ग्राम हीचर के मध्य कांकड़ की जमीन के रूप में स्थित रही है, पर होकर खसरा नम्बर 822/114 व 114/857 के मध्य स्थित मेड पर होकर रहा है और इसी रास्ते पर होकर रेस्पोडेन्ट हमेशा से आता–जाता रहा है और यही रास्ता रेस्पोडेन्ट की भूमि पर आने–जाने के लिये सबसे नजदीक रास्ता है और सुविधाजनक रास्ता है। चूंकि खसरा नम्बर 134 जो डामर रोड़ है, इससे खसरा नम्बर 113 पर कच्चा रास्ता गडारनुमा रास्ता आज भी स्थित चला आ रहा है, परतु तहसीलदार से मंगवाये गये मौका रिपोर्ट में उक्त रास्ते का कोई अंकन नहीं किया गया है और रेस्पोडेन्ट जो स्वयं राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर पदस्थापित है, ने तहसील खानपुर में मिलीभगत कर अपीलाट्स की भूमि खसरा नम्बर 133 व 136/858 व खसरा नम्बर 821/114 पर रास्ता कायम करवा दिया, जो पूर्व से स्थित रास्ता से काफी लम्बा रास्ता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मौका की वास्तविक रिपोर्ट मंगवाये बिना ही आदेश दिनांक 10.07.2024 पारित किया है जो मौका की स्थिति के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण में मौका रिपोर्ट रास्ते के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवायी गई है, जिस पर रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुई है, परन्तु उक्त मौका रिपोर्ट को पक्षकारान की अनुपस्थिति में गलत रूप से

(दीपक रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तैयार की गई है क्योंकि मौका रिपोर्ट तैयार करते समय दोनों पक्षकारान का उपस्थित होना आवश्यक है और उसके पूर्व तहसील कार्यालय से पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाते हैं मौका मौका देखने हेतु दिनांक निश्चित की जाती है और पक्षकारान की उपस्थिति में मौका देखा जाता है और रिपोर्ट पर पक्षकारान की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये जाते हैं। पक्षकारान के उपस्थित नहीं होने या उनके हस्ताक्षर नहीं होने का स्पष्ट कारण रिपोर्ट में अंकित किया जाता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न तो पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की गई है और ना ही पक्षकारान के उपस्थित होने या नहीं होने तथा उनके हस्ताक्षर होने नहीं होने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि मौके की रिपोर्ट तैयार करते समय पक्षकारान को कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही उनकी उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की गई। इस प्रकार नियम 68 से 70 की पालना करते हुये निर्धारित प्रपत्र पर नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत व गैर कानूनी तरीके से निर्णय दिनांक 10.07.2024 पारित किया है जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान को दिनांक 05.10.2020 को यह निर्देश दिया गया है कि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सरकारी नियम 1955 के नियम 68 से 70 के अंतर्गत नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में मौके की रिपोर्ट समस्त पक्षकारों को सूचित किये बिना तथा पक्षकारों की अनुपस्थिति में यदि मौके की रिपोर्ट तैयार की जाती है तो वह प्रभावहीन है और राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने इस सम्बन्ध में यह कहा है कि रिपोर्ट पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार होने के कारण तथा विधिवत सूचना पक्षकारान को दिये बिना रिपोर्ट केवल मात्र हल्का पटवारी द्वारा तैयार कर दिये जाने के कारण प्रकरणों को बार–बार अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करना पड़ता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी की गई गाईड लाईन के विरूद्ध जाकर निर्णय दिनांक 10.07.2024 पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा विधिक प्रपत्र व गाईड लाईन सलग्न है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पास वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 113 में होकर खसरा नम्बर 114/857 व 822/114 के मध्य स्थित मेड पर होकर रहा है और आज भी स्थित चला आ रहा है। इस प्रकार कानूनन वैकल्पिक रास्ते की स्थिति मे नवीन रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। चूंकि वैकल्पिक रास्ता रेस्पोडेन्ट के पास मौजूद है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता भी नहीं है। इन तत्परिस्थितियों में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना चाहिये था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज करते हुये उक्त आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10.07.2024 में अपीलांट्स की भूमि पर सरल व सुगम रास्ता होना अंकित किया है जबकि अपीलांट्स की भूमि पर जो रास्ता कायम किया जा रहा है, वह खसरा नम्बर 133 में होकर खसरा नम्बर 133/858, 821/114 से खसरा नम्बर 119/134 पर कायम किया गया है, जो पूर्व से स्थित रास्ता खसरा नम्बर 113 से होकर खसरा नम्बर 114/857 व खसरा नम्बर 122/114 से काफी अधिक लम्बा है, जो सलग्न नक्शे से स्पष्ट है। इस प्रकार कहना कि उक्त रास्ता सुगम व सरल है. गलत, अवैध व गैर कानूनी हो जाता है। मौका की रिपोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत की गई है, वह राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार नहीं की गई है और ना ही राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना की गई है। उक्त रिपोर्ट हल्का पटवारी हरीगढ द्वारा तैयार की है जबकि कानूनन रिपोर्ट उभयपक्षकारान को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा तैयार की जानी चाहिये थी। इस प्रकार नियम 68 से 71 की पालना किये बिना ही उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उक्त अवैध व गैर कानूनी रिपोर्ट पर आदेश दिनांक 10.07.2024 पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलाट्स के अधिवक्ता के साथ षडयंत्र कर उक्त आदेश दिनांक 10.07.2024 पारित करवाया है और इसीलिये अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा जान–बूझकर अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही अपीलांट्स को साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के लिये सूचित किया गया और यही नहीं बल्कि अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स की ओर से उपस्थित होना ही बंद कर दिया। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स के अधिवक्ता के साथ रेस्पोडेन्ट ने षडयंत्र कर उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 10.07.2024 पारित करवाया है जो प्रथम दृष्ट्या ही त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10.07.2024 में अपीलांट्स के अधिवक्ता की उपस्थिति बता रखी है और अपीलांट्स/अप्रार्थीगण की ओर से उनका नाम निर्णय में अंकित किया हुआ है और वहीं दूसरी ओर निर्णय में यह लिखा है कि अपीलांट्स/अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। जब अपीलांट्स के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई थी तो उनकी ओर से अधिवक्ता की उपस्थिति निर्णय में क्यों अंकित की गई ? इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.07.2024 विरोधाभासी है और पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट की अपीलांट्स से प्रारम्भ से ही रंजिश रही है और पड़ौसी होने के कारण आपस में रंजिश रखता चला आ रहा है और इसी विवाद का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट ने जानबूझकर अपीलांट्स की भूमि पर रास्ता कायम करवाया है। रेस्पोडेन्ट के पति राकेश फागणा स्वयं तहसील झालरापाटन में पटवारी के पद पर पदस्थापित है और उसने अपने पद

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

व प्रभाव का नाजायज फायदा उठाकर अपीलांट्स की भूमि पर गैर कानूनी तरीके से रास्ता कायम करवाने के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 10.07.2024 पारित करवाया है जो दुर्भावना पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2024 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.11.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया और बहस के दौरान कथन किया कि हमे ग्राम बोरदा की खसरा नम्बर 133, 136/858, 345, 435/859 पर होकर रास्ता दिया जाये। खसरा नं. 123, 119/934 में होकर हम खसरा नं. 119/932 पर होकर पंहुचेंगे। पक्षकार केवल अपीलांट जो खसरा नंबर 133, 136/858, 345, 435/859 के खातेदारों को भी पक्षकार बनाया गया है खसरा नंबर 123, 119/934 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया। भाई के खेत में रास्ता नहीं मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र से भिन्न रास्ता कायम किया है। खसरा नं. 119/934 में रास्ता कायम नहीं किया है। मौका रिपोर्ट हमारी उपस्थिति में तैयार नही की, हमे नोटिस भी जारी नहीं किये गये है। ना ही इस संबंध में कोई टिप्पणी अंकित है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि वैकल्पिक रास्ता एवं प्रस्तावित रास्ता दोनों के संदर्भ में उभयपक्षकारों को अपना पक्ष रखते का अवसर देने के पश्चात् उभयपक्षकारों की उपस्थिति में तैयार की गयी रिपोर्ट प्राप्त कर प्राप्त रिपोर्ट पर किसी पक्ष को आपत्ति होने की स्थिति में प्राप्त आपत्ति पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात पुनः नये सिरे से निर्णय पारित हेतु पत्रावली रिमाण्ड किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत, भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपने खाते की आराजी ग्राम बोरदा, तहसील खानपुर की खाता संख्या नया 225 पुराना 115 के खसरा नम्बर 119/932 पर पहुंचने हेतु अपीलांटगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 133, 136/858 व खसरा नम्बर 821/114 की मेड़ पर होकर खसरा नम्बर 123, 119/934 तक 12 फीट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार खानपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.01.2024 के साथ प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रचलित डी.एल.सी. की दोगुनी राशि प्रार्थिया से वसूल कर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 व अप्रार्थी संख्या 4 को अदा कर, इनके खाते की ग्राम बोरदा की आराजी खसरा नम्बर 133 की 0.2428 हेक्टर में से 0.0132 हेक्टर, खसरा नम्बर 136/858 की 3.3589 हेक्टर में से 0.0100 हेक्टर, खसरा नम्बर 821/114 की 0.4047 हेक्टर में से 0.0084 हेक्टर आराजी तहसीलदार रिपोर्ट में प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थिया की आराजी में आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु रास्ते के रूप में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में तरमीम करने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार खानपुर द्वारा प्रस्तुत जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है उस पर पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्रथम दृष्टया इससे यही स्पष्ट होता है कि मौका रिपोर्ट पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट में प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया के खाते की आराजी खसरा नम्बर 119/932 तक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 133, 136/858 व 821/114 की मेड़ पर खसरा नम्बर 123 व 119/934 की मेड़ तक ही रास्ता कायम किया है जबकि खसरा नम्बर 821/114 व प्रार्थिया के खाते की आराजी खसरा नम्बर 119/932 के मध्य खसरा

(दीपक रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नम्बर 119/1934 व खसरा नम्बर 123 स्थित है जिस पर रास्ता कायम नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने व जवाब बन्द करने के क्रम में कोई आदेश पारित करना आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाना व जवाब बन्द करने का आदेश पारित किये बिना ही सीधे ही दिनांक 10.07.2024 की आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि वकील फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गयी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेशिका एवं पक्षकारान की अनुपस्थिति में बनायी गई रिपोर्ट के अवलोकन से यही स्पष्ट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जबकि धारा 251 (क) के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मौका रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करवाते हुए मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाये जाने चाहिये। किसी पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने की स्थिति में रिपोर्ट में इसका स्पष्ट रूप से अंकन होना चाहिये। संदर्भित प्रकरण के निस्तारण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2023 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एवं धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मूल भावना के विपरीत होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान कर तहसीलदार खानपुर से उभयपक्षकारान की उपस्थिति में वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता व अनुपलब्धता की स्थिति को स्पष्ट कराते हुए पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त करें एवं प्राप्त मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त आपत्तियों का विधिवत निस्तारण करने के पश्चात पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.05.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/03/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा